न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 391 / 2024

अनवान : –

1. पायल पुत्री वीरसिंह नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सरोज पत्नी वीर सिंह जाति मेघवाल निवासी ललाना बास तहसील नोहर।
2. हरीश पुत्र वीरसिंह नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सरोज पत्नी वीर सिंह जाति मेघवाल निवासी ललाना बास तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. धनाराम पुत्र चिमनाराम जाति मेघवाल निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
2. वीरसिंह पुत्र धनाराम जाति मेघवाल निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
3. महेन्द्र पुत्र धनाराम जाति मेघवाल निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
4. मंजू पुत्री धनाराम जाति मेघवाल निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
5. सन्तोष पुत्री धनाराम जाति मेघवाल निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
6. सुमित्रा पुत्री धनाराम जाति मेघवाल निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
9. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा रामगढ़ उज्जलवास तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 01/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 79/79 की कुल 10.1420 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण प्रतिवादी स0 1 व 3 ता 5 प्रत्येक 1/6 हिस्सा के एवं प्रतिवादी स0 2 व वादीगण बहिब 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे लेकिन वह आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:06:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी स0 2 द्वारा निवेदन किया गया की जवाब नही देना चाहते है इसलिए जवाब बंद किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण प्रतिवादी स0 1 व 3 ता 5 प्रत्येक 1/6 हिस्सा के एवं प्रतिवादी स0 2 व वादीगण बहिब 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 79/79 की कुल 10.1420 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण प्रतिवादी स0 1 व 3 ता 5 प्रत्येक 1/6

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:06:52 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा के एवं प्रतिवादी स0 2 व वादीगण बहिब 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त भूमि पैतृक भूमि है एवं वादीगण द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण उक्त वाद भूमि का प्रतिवादी स0 1 व 3 ता 5 प्रत्येक को 1/6 हिस्सा भूमि व वादीगण व प्रतिवादी स0 2 को बहिब 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। अत वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 79/79 की कुल 10.1420 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादीगण व प्रतिवादी स0 2 को बहि 1/6 हिस्सा भूमि के एवं प्रतिवादी स0 1 व 3 ता 5 प्रत्येक को 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:06:52 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 391/2024

अनवान : –

1. पायल पुत्री वीरसिंह नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सरोज पत्नी वीर सिंह जाति मेघवाल निवासी ललाना बास तहसील नोहर।
2. हरीश पुत्र वीरसिंह नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सरोज पत्नी वीर सिंह जाति मेघवाल निवासी ललाना बास तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. धनाराम पुत्र चिमनाराम जाति मेघवाल निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
2. वीरसिंह पुत्र धनाराम जाति मेघवाल निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
3. महेन्द्र पुत्र धनाराम जाति मेघवाल निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
4. मंजू पुत्री धनाराम जाति मेघवाल निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
5. सन्तोष पुत्री धनाराम जाति मेघवाल निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
6. सुमित्रा पुत्री धनाराम जाति मेघवाल निवासी ललाना बास दिखनादा तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
9. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा रामगढ़ उज्जलवास तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 391 सन 2024 निर्णय दिनांक 01/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री चन्द्रशेखर एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता स0 79/79 की कुल 10.1420 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादीगण व प्रतिवादी स0 2 को बहि 1/6 हिस्सा भूमि के एवं प्रतिवादी स0 1 व 3 ता 5 प्रत्येक को 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.05.08 11:06:52 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर